



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940

No. 247]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

(i) 7.74 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.81 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.88 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.95 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 8.03 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 8.11 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 को जारी करना।

**फा. सं. 4(16)-डब्ल्यू एवं एम/2018.**—भारत सरकार एतद्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2018 को (i) 7.74 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.81 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.88 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.95 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 8.03 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 8.11 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को अधिसूचित करती है।

## 1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-

(i) केवल इसके अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंक इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी, कारपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:-**

- (i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।
- (ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंकों से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख होगी।

**3. प्रतिभूति का स्वरूप :-**

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में बनाए रखे निवेशकर्ता बैंकों के सब्सिडियरी जनरल अकाउंट में क्रेडिट करके "स्टॉक" के रूप में जारी किया जाएगा।

**4. ब्याज एवं वापसी :-**

विशेष प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर होगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित रूप से ब्याज दर देय होगी :

क्रम संख्या	प्रतिभूति	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख
1.	7.74 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028	7.74 प्रतिशत	23 जुलाई, 2028
2.	7.81 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029	7.81 प्रतिशत	23 जुलाई, 2029
3.	7.88 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030	7.88 प्रतिशत	23 जुलाई, 2030
4.	7.95 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031	7.95 प्रतिशत	23 जुलाई, 2031
5.	8.03 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032	8.03 प्रतिशत	23 जुलाई, 2032
6.	8.11 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033	8.11 प्रतिशत	23 जुलाई, 2033

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण रुपये में परिकलन (राउंड ऑफ) करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में परिकलित (राउंड ऑफ) किया जाएगा।

**5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन:-**

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमति भी नहीं होगी।

**6. सांविधिक प्रावधान:-**

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित की जाएगी।

**7. कर कानूनों का लागू होना :-**

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज को समय समय पर यथा प्रयोज्यकर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

**8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-**

जहां तक किसी सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अपेक्षा है, इस संबंध में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा इन विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

**9. एचटीएम प्रस्थिति :-**

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मापदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां बिना किसी भी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

**अनुबंध**

(संदर्भ फा. सं. 4(16)-डब्ल्यू एवं एम/2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018)

सरकारी क्षेत्र के पात्र बैंकों की सूची तथा (i) 7.74 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.81 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.88 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.95 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 8.03 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 8.11 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 प्रतिभूतियों का आवंटन।

क्रम संख्या	पात्र बैंकों का नाम	परिपक्व होने वाला वर्ष						आवंटित राशि (करोड़ रुपये)
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	इलाहाबाद बैंक	300	298	298	298	298	298	1790
2	आंध्रा बैंक	339	336	336	336	336	336	2019
3	कॉर्पोरेशन बैंक	430	425	425	425	425	425	2555
4	इंडियन ओवरसीज बैंक	362	359	359	359	359	359	2157
5	पंजाब नैशनल बैंक	471	469	469	469	469	469	2816
	<b>कुल</b>	<b>1902</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>11337</b>

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,  
अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2018

Issue of (i) 7.74 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2028; (ii) 7.81 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2029; (iii) 7.88 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iv) 7.95 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 8.03 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; and (vi) 8.11 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033.

**F. No. 4(16)-W&M/2018.**—Government of India hereby notifies the issue of (i) 7.74 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2028; (ii) 7.81 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2029; (iii) 7.88 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iv) 7.95 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 8.03 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; and (vi) 8.11 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033, (hereinafter briefly described as "the Special Security") on July 20, 2018.

**1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:**

- (i) The Public Sector Banks as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and their subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the Annexure.
- (ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Public Sector Banks as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

**2. Price and Date of Issue:**

- (i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.
- (ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription from the eligible banks.

**3. Form of Security:**

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

**4. Interest and Repayment:**

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the security. Interest on the security will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

S.No.	Security	Rate of Interest	Date of maturity
1.	7.74 (Non-transferrable) Special GoI Security 2028	7.74 per cent	July 23, 2028
2.	7.81 (Non-transferrable) Special GoI Security 2029	7.81 per cent	July 23, 2029
3.	7.88 (Non-transferrable) Special GoI Security 2030	7.88 per cent	July 23, 2030
4.	7.95 (Non-transferrable) Special GoI Security 2031	7.95 per cent	July 23, 2031
5.	8.03 (Non-transferrable) Special GoI Security 2032	8.03 per cent	July 23, 2032
6.	8.11 (Non-transferrable) Special GoI Security 2033	8.11 per cent	July 23, 2033

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and amount of fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

**5. Transferability and Conversion:**

The special security shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

**6. Statutory Provisions:**

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special security shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

**7. Applicability of Tax Laws:**

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

**8. Eligibility of Investment in Special Security:**

The investment in the special security by the investing banks would not be considered as an eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing banks.

**9. HTM Status:**

As per RBI Circular DBR No BP.BC.6/21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

**Annexure**

(Ref F. No. 4(16)-W&M/2018, dated July 20, 2018)

List of Eligible Public Sector Banks and Allocation of Securities (i) 7.74 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2028; (ii) 7.81 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2029; (iii) 7.88 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iv) 7.95 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 8.03 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; and (vi) 8.11 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033.

S. No.	Name of Eligible Bank	Maturing in Year						Amount Allocated (₹ crore)
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	Allahabad Bank	300	298	298	298	298	298	1790
2	Andhra Bank	339	336	336	336	336	336	2019
3	Corporation Bank	430	425	425	425	425	425	2555
4	Indian Overseas Bank	362	359	359	359	359	359	2157
5	Punjab National Bank	471	469	469	469	469	469	2816
	<b>Total</b>	<b>1902</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>1887</b>	<b>11337</b>

By Order of the President of India,  
ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.